2019/00364

**निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर**

प्रकरण संख्या 354/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिन्धी कालोनी, जयपुर।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. अब्दुल वहाब कुरेशी पुत्र श्री उमर दराज कुरेशी
2. मोहम्मद सबीर कुरेशी पुत्र श्री उमर दराज कुरेशी

पता–प्लाट नं. 3029–3031, भिण्डों का रास्ता, पुलिस चौकी के पास, चांदपोल बाजार, जयपुर, मकान नं. 32 सीकर हाउस माली कालोनी चांदपोल बाजाया जयपुर एवं राजस्थान फर्नीचर वर्क्स सिबमिल्ला होटल के पास, चांदपोल जयपुर।

**अप्रार्थीगण**

**ऋण एवं गारन्टर**

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

स्टेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

उपस्थितः–श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

**आदेश** दिनांक 11-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 06.12.2004 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री अब्दुल वहाब पुत्र श्री उमर दराज कुरेशी एवं श्री मोहम्मद सबीर पुत्र श्री उमर दराज कुरेशी के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर 3029–3031, भिण्डों का रास्ता, पुलिस चौकी के पास, चांदपोल बाजार, जयपुर क्षेत्रफल 25.65 वर्गगज को बन्धक कर कुल 4,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं हुआ है।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.06.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नही कराई गई है। इसके बावजूद बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थीगण द्वारा धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग की डिलीवर्ड/ट्रेकिंग रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री अब्दुल वहाब पुत्र श्री उमर दराज कुरेशी, एवं श्री मोहम्मद सबीर पुत्र श्री उमर दराज कुरेशी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति मकान नम्बर 3029–3031, भिण्डों का रास्ता, पुलिस चौकी के पास, चांदपोल बाजार, जयपुर क्षेत्रफल 25.65 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
6. आदेश आज दिनांक 11-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर